# कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–4/21313/2012–13 दिनांक : 11-01-2012

## :: विज्ञप्ति ::

गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2012–13 के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं :–

1. मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट–3 में यथा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप में (परिशिष्ठ–1) आवेदन करना होगा।
2. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट–2 यथा निर्दिष्ट निर्बन्धों तथा शर्तों की पूर्ति संस्था द्वारा की जानी अनिवार्य होंगी जिसका सत्यापन पैनल निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशो का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय–समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं देने बाबत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्धारित प्रारूप में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
4. क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी :–

| क्र०सं० | स्तर | मान्यता (आवेदन) शुल्क की राशि | आरक्षित कोष की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | माध्यमिक | 7000/– रू. | 50000/– रू. |
| 2 | उच्च माध्यमिक | 10000/– रू. प्रति संकाय तीन विषयों के अतिरिक्त प्रति विषय के लिए 3000/– रू. अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी। (डी.डी. संबंधित जि.शि. अ.के नाम) | 80000/– रू. (प्रति अतिरिक्त संकाय के लिए 30000/– अतिरिक्त आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी।) डी.डी. बालिका शिक्षा फाउन्डेशन,जयपुर के नाम |

संस्थाओं को मान्यता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पद नाम से बनाना होगा, आरक्षित कोष की राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, राजस्थान, जयपुर के पद नाम से बनवाकर संस्था को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक) को प्रस्तुत करना होगा।

5. उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को क्रम संख्या 1 से 4 मे निर्दिष्ट शर्तो की पालना कर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग, मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01.03.2012 होगी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय द्वारा उन्ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर क्रमोन्नति/अतिरिक्त विषय/संकाय शुरू करने के लिए अनुशंषा की जायेगी जो पैनल निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने तथा संस्था द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, प्रमाण–पत्रों आदि का मूल से मिलान कर सत्यापन करवाने के बाद स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की सन्तुष्टि के बाद स्वीकृति योग्य पाये जायेंगे। संबंधित जिला

लगातार पृष्ठ 2 पर.................

(2)

शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालयों का पैनल निरीक्षण करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा तथा आवेदनकर्ता से गैर सरकारी शिक्षण संस्था तत्संबंधी सभी शर्तों को पूरी करती है, इस आशय के प्रमाण पत्र सहित अनुमोदन हेतु आयुक्तालय को प्रस्ताव दिनांक 20.04.2012 तक प्रस्तुत किए जायेगें।

7. गैर सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् संस्था को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, एवं विद्यमान उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त संकाय/विषय की क्रमोन्नति/मान्यता के आदेश आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदनोपरान्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दिनांक 30.04.2012 तक निश्चित रूप से जारी कर दिए जायेगे।
8. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था या संस्थाओं के किसी भी वर्ग को उक्त प्रावधानों के किन्ही भी उपबन्धों से छूट दे सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि उक्त प्रावधानों के ऐसे उपबन्ध, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और शर्तो सहित लागू होगें, जैसा कि आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाये।
9. उपबन्धों के निर्वचन या उनके लागू होने के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न हो, वहां मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित किए जाने तथा उसके परिचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को होने का विधिवत प्रमाणित शपथ–पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर, विद्यालय भवन में मोबाईल टॉवर नही होने का तथा विद्यालय परिसर से हाई टेन्शन विद्युत तार नही गुजरने का स्टाम्प पेपर में उल्लेख किया हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11. सत्र 2010–11 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा नेशनल केरीकुलम फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम लागू करने से बोर्ड द्वारा संचालित संकाय एवं विषय में ही मान्यता दी जायेगी।
12. मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोनयन के लिए कोई शुल्क नही लिया जायेगा।
13. राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की मान्यता संबंधी शर्तों की पूर्ति नहीं करने पर सशर्त मान्यता नहीं दी जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों से एक चैक लिस्ट के साथ सुस्पष्ट रिपोर्ट ली जावेगी।
14. मान्यता उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य रहेगी जिस सत्र में मान्यता दी गई है। संस्था द्वारा जिस सत्र में मान्यता ली गई है, उसमें विद्यालय शुरू नहीं करने पर वह मान्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी, तथा संस्था को अगले सत्र प्रारम्भ से पूर्व मान्यता के लिए विधिवत् नियमानुसार दुबारा फीस, इत्यादि जमा करवाकर मान्यता के लिए पुनः आवेदन करना होगा।
15. निरीक्षण दल हेतु परिशिष्ठ– 1,2 एवं चैकलिस्ट B संलग्न है।

संलग्न – 1) शपथ-पत्र
2) परिशिष्ठ - 1,2
3) चेकलिस्ट –
4) अनुबन्ध प्रपत्र

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा./माध्य/अ–4/21313/2012–13 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)
6. ए0सी0पी0, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Press Note Private School-2012-13.doc

# शपथ पत्र

**(10 रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)**

मनके ............................................. पुत्र श्री ............................................. जाति ................ आयु ...................... निवासी ............................. पूर्ण पता ............................................................................ अध्यक्ष/सचिव .......................................................................... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. यह कि हमारी संस्था का नाम ............................................................ पता ................................ है जिसके द्वारा समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार की भाव से ........................................ .......... ........................ (विद्यालय का नाम) ............................................................................................ का संचालन किया जा रहा है।
2. यह कि हम उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 में वर्णित विद्यालय को माध्यमिक/उमावि स्तर पर क्रमोन्नत करवाना चाहते हैं/विद्यालय में अतिरिक्त विषय/संकाय स्वीकृत करवाना चाहते है।
3. यह कि हमने प्रार्थीत विद्यालय क्रमोन्नत/अतिरिक्त विषय/संकाय के संबंध में समस्त नियमों शर्तो एवं उपाबंधों का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान सरकार/विभाग द्वारा जारी का भलीभांति अध्ययन कर लिया है जिन्हें हम पूरा करते है।
4. यह कि हम बिन्दु संख्या 03 में इंगित नियमों/शर्तों उपाबन्धों की पालना करते हुए समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन से प्राप्त होने वाले आदेशों का यथा समय पूर्ण पालन करेंगे। हम राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन के द्वारा सौंपे गये कार्यो को पूर्ण तत्परता से करते हुए आज्ञा पालन करेंगे।
5. यह कि हम जिलास्तरीय परीक्षा योजना आठवी बोर्ड पैटर्न आधारित परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार विद्यालय की भागीदारी एवं वांछित सहयोग करेंगे।
6. यह कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किए जाने पर हमारी मान्यता निरस्त कर संबंधित नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेंगी।

उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक हमने अपनी निजी जानकारी के अनुसार सही–सही बयान किए है कोई घटाया–बढाया नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।

शपथ गृहिता

# शपथ–पत्र

(10 रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)

मनके ............................................................ पुत्र श्री .................................................. जाति ............
आयु .............. निवासी .......................... पूर्ण पता ..................................................................................................
अध्यक्ष/सचिव................................................................... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/ करती हूँ कि :–

1. यह कि हमारी संस्था का नाम ..................................................................... पता ..........................
   जिसके द्वारा समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के भाव से ...................................... (विद्यालय का नाम) ................................................................................................ का संचालन किया जा रहा है।
2. यह कि हम उपरोक्त बिन्दु संख्या एक में वर्णित विद्यालय को माध्यमिक/उमावि स्तर पर क्रमोन्नत करवाने चाहते हैं/विद्यालय में अतिरिक्त विषय/संकाय स्वीकृत करवाना चाहते हैं।
3. यह कि हमने प्राथीत विद्यालय क्रमोन्नत/अतिरिक्त विषय/संकाय के संबंध में समस्त नियमों शर्तो एवं उपाबन्धों का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान सरकार/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है, जिन्हे हम पूरा करते हैं।
4. यह कि हम बिन्दु संख्या 3 में इंगित नियमों/शर्तो उपाबन्धों की पालना करते हुए समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन से प्राप्त होने वाले आदेशों का यथा समय पूर्ण पालना करेंगे। हम राज्य सरकार/विभाग/प्रशासन के द्वारा सौंपे गये कार्यो को पूर्ण तत्परता से करते हुए आज्ञा पालन करेंगे।
5. यह कि हम जिला स्तरीय समान परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार विद्यालय की भागीदारी एवं वांछित सहयोग करेंगे।
6. यह कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर हमारी मान्यता निरस्त कर संबंधित नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
7. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर लिया है तथा इसके परिचालन हेतु विद्यालय मे प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
8. यह कि विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार मोबाईल टॉवर नही लगा हुआ है तथा न ही भविष्य मे लगाया जायेगा।
9. यहकि विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेन्शन विद्युत लाईन नही गुजरती है।

   उपरोक्त पैरा 1 से 9 तक हमने अपनी निजी जानकारी के अनुसार सही–सही बयान किये हैं। कोई तथ्य घटाया–बढ़ाया नही हैं। ईश्वर हमारी मदद करें।

शपथ गृहिता

## परिशिष्ट-1

### गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता के लिए आवेदन

[नियम 34 (2)]

(34)

सेवा में,

..........................................................

..........................................................

..........................................................

मैं/हम हमारी संस्था .......................... (संस्था का नाम) के .................. (स्तर) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। संस्था संबंधी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र.सं. | संस्था सम्बन्धी विवरण | संस्था द्वारा कथन | निरीक्षण दल का अभिकथन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1. संस्था का नाम
2. कार्यालय का स्थान एवं पूर्ण पता
3. संस्था का प्रकार एवं स्तर
4. संस्था के स्थापन एवं संचालन की तारीख
5. संस्था के सचिव का नाम, पता, टेलीफोन संख्या (यदि हो)
6. संस्था का :-
   (1) विधान
   (2) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम और पते
   (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाये)
   (4) संस्था का प्रधान/कर्मचारी यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य हो तो उसका नाम, पद एवं समिति में धारित पद
7. (1) वांछित मान्यता का स्तर, प्रकार सत्र एवं विषय
   (2) संस्था द्वारा पूर्व में मान्यता हेतु किये गये आवेदन का वर्ष एवं स्तर
8. संस्था का शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य/इसकी पूर्ति हेतु सचिव का कथन
9. उपलब्ध भवन का पूर्ण विवरण :-
   (1) कक्षा-कक्ष/कार्यालय/प्याऊ/शौचालय आदि (ब्लू प्रिन्ट की प्रति भी साथ में प्रस्तुत की जाये, जिसमें उक्त सभी निर्मित स्थल स्पष्ट रूप से अंकित हों)
   (2) संस्था का स्वयं का भवन होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र दें
   (3) भवन किराये का होने पर किराया-विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाये

--- लगातार पृ. 2 ---

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

35

10. खेलकूद हेतु भूमि का विवरण :-
   (1) संस्था की स्वयं की भूमि होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
   (2) किराये की भूमि होने पर किराया विलेख की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
11. अन्य भूमि का विवरण :-
12. जल/विद्युत/सफाई की व्यवस्था का पूर्ण विवरण :-
13. वित्तीय स्थिति का विवरण :-
   (1) स्थायी जमा खाते में जमा राशि, बैंक का नाम, रसीद/खाता संख्या (रसीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)
   (2) नियमित आय का आंकलन एवं इसके स्थायी स्रोत।
   (3) आय के स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने का स्पष्ट प्रमाण
   (4) संस्था के गत तीन वर्षों के आय-व्यय एवं तुलन-पत्र (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित)
14. संस्था की सम्पत्तियों का विवरण, मूल्य सहित
15. कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पद, आयु, जन्म तिथि, योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, नियुक्ति तिथि, वेतनमान, प्रथम जनवरी को मूल वेतन एवं भत्ते (भत्तों का पूर्ण विवरण दें)
16. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारियों से काटे जाने वाले एवं संस्था द्वारा देय अंशदान का विवरण
17. (1) संस्था के पास उपलब्ध फर्नीचर एवं अध्ययन/अध्यापन सामग्री की सूची (नाम, तादाद एवं मूल्य सहित)
   (2) विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे दैनिक/साप्ताहिक/सामयिक पत्र/पत्रिकाएं।
18. बालक/बालिकाओं की कक्षावार/वर्गवार संख्या एवं औसत उपस्थिति का विवरण।
19. (1) बालक/बालिकाओं से वसूल की जा रही फीस (कक्षावार किस मद में किस दर से कितनी फीस प्राप्त की जा रही है अथवा प्रस्तावित है) का विवरण।
   (2) संस्था के कितने बालक/बालिकाओं की फीस में रियायत दी गयी है, (कक्षावार/वर्गवार राशि एवं दर का विवरण)।
   (3) क्या संस्था में सभी जातियों तथा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फीस सुविधा है तथा किसी भी भेदभाव के बिना प्रवेश खुला रहता है।

क्रमशः पृष्ठ 3

36

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

(4) क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों का सम्मिलित होना अनिवार्य है।

20. (1) संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का विवरण।
(2) क्या संस्था राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है।

21. (1) संस्था आवासीय है अथवा गैर आवासीय।
(2) क्या संस्था में छात्रावास को व्यवस्था है? यदि हां तो उपलब्ध भवन, कर्मचारी एवं व्यवस्था सम्बन्धी विवरण।
(3) वसूल की जा रही फीस का विवरण।

22. कार्य क्षेत्र का विवरण :-
(1). विद्यालय/संस्था के आस-पास समान स्तर की संचालित अन्य संस्थाओं के नाम, पते एवं विद्यालय से दूरी।
(2) आस-पास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का विवरण एवं संस्था के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र।

23. (1) संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ-पत्र
(2) क्या शैक्षिक वातावरण में व्यवधान पैदा करने वाले किसी सार्वजनिक वाद, विवाद एवं प्रवृत्ति में संस्था के कर्मचारी/प्रबन्ध आदि भाग लेते हैं?

24. विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यकलापों का विवरण।

25. विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन आदि की व्यवस्था।

26. संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख।

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण सही हैं। मैंने/हमने मान्यता सम्बन्धी नियमों/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि यदि संस्था को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी तो मैं/हम मान्यता सम्बन्धी शर्तों से और तत्सम्बन्धी समस्त वर्तमान और समय-समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित नियमों से आबद्ध रहूँगा/रहेंगे तथा समय-समय पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निदेशों का अनुपालन करता रहूँगा/करते रहेंगे।

हस्ताक्षर सचिव

..............................

..............................

(संस्था का नाम)

# परिशिष्ठ–2

***गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने संबंधि न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें {नियम–5(1)}***

| क्र0स0 | मद | स्तर | मानदण्ड एवं शर्तें |
|---|---|---|---|
| 1 | रजिस्ट्रकरण | समस्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं | संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है। |
| 2 | भवन | माध्यमिक विद्यालय | 1. विद्यालय की 6 व उसके ऊपर की प्रत्येक कक्षा / वर्ग के लिए 6X8 मीटर का कक्ष<br>2. सामान्य विज्ञान के लिए 6X8 मीटर का भंण्डार के साथ प्रयोगशाला कक्ष।<br>3. कला उद्योग एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अधीन सिखाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए भण्डार गृह एवं दिवारो में अलमारियों सहित 1000 वर्ग फूट ढका हुआ स्थान।<br>4. विविध :<br>क – प्र0अ0 कक्ष 6X5 मीटर<br>ख – कार्यालय कक्ष 6X5 मीटर<br>ग – अध्यापक कक्ष 6X8 मीटर<br>घ – प्र0 एवं वाच0 12X8 मीटर<br>ल – खेलकूद कक्ष 124 वर्ग मीटर<br>च – एन0सी0सी0 48 वर्ग मीटर<br>छ – बालचर संस्था 48 वर्ग मीटी<br>ज– बालिकाओं के लिए सहशिक्षा अलग कमरा कॉमर रूम<br>झ – भंण्डार गृह 64 वग मीटर<br>ट – मूत्रालय प्रति 30 विद्यार्थियों पर एक<br>ध – शौचालय प्रति 100 विद्यार्थियों पर एक बालिका को लिए पृथक<br>ड – उपयुक्त प्याउ 16 वर्गमीटर<br>ढ – सभा भवन 12X18 वर्ग मीटर |
| | | उच्च माध्यमिक विद्यालय | क. प्रत्येक वर्ग के लिए अतिरिक्त कक्ष (6X8) मीटर<br>ख. प्रधानाध्यापक कक्ष<br>ग. अध्यापक कक्ष<br>ड. भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान विषयों के लिए प्रत्येक की (9X8) मीटर की प्रयोगशाला तथा भंण्डार गृह की अतिरिक्त व्यवस्था।<br>च. कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशाला : कृषि भूमि सुविधा सिचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भंण्डार। |
| 3 | भूमि | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | लगभग 5 एकड़ भूमि एवं शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | वित्तीय | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | आरक्षित कोष 3 लाख रूपये की राशि सावधि जमा खातो में जिसे निकाला नही जायेगा।<br>आय के श्रोत :–<br>अ. संस्था की नियमित आय का आंकलन एवं ऐसी आय के स्थकाई श्रोत होने का स्पष्ट विवरण<br>ब. श्रोता के नियमित, पर्याप्त व स्थाई होने की सुनिश्चितता का प्रमाण। |
| 5 | स्टॉफ | माध्यमिक विद्यालय के लिए | बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा अनुशंसित वेतन श्रंख्लाओं में करनी होगी। ये निम्नानुसार होगें :–<br>क. प्रधानाध्यापक :– एक<br>ख. सहायक प्रधानाध्यापक :– एक<br>(यदि 6 से 10वी कक्षाओं में छात्र संख्या 700 से अधिक हो या विद्यालय दो पारी में चलता हो)<br>ग. पुस्तकालयाध्यक्ष :– एक<br>घ. लिपिक :– 500 छात्र संख्या तक वलि एक और कलि एक इससे अधिक होने पर वलि एक कलि 2<br>ङ. सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक 2 से अधिक विषय नही पढायेगा।<br>च. प्रत्येक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सेवक होना चाहिए। |
| | | उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए | क. प्रधानाचार्य : एक<br>ख. सहायक प्रधानाचार्य : एक<br>(यदि 6 से 12वी कक्षाओं में छात्र संख्या 700 से अधिक हो या विद्यालय दो पारी में चलता हो)<br>ग. पुस्ताकलाध्याक्ष : एक<br>घ. लिपिक : छात्र संख्या 900 तक एक वलि तथा तीन कलि<br>ङ. अध्यापक वर्ग : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यनतम योग्यता आवश्यक होगी।<br>च. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान की प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक प्रयोगशाल सेवक और गृह विज्ञान के लिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। |
| 6 | फर्नीचर तथा अध्ययन अध्यापक सामग्री | | संलग्न सूची के अनुसार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | फीस | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसे ली जा सकेगी। |
| 8 | गणवेश | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | निर्धारण अनिवार्य नही होगा। |
| 9 | पाठ्यक्रम | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित<br>टिप्पणी : सभी संस्थाओं को समान परीक्षा योजना में सम्मलित होना अनिवार्य होगा। |
| 10 | प्रबन्ध समिति | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | अनुदान नियम नियमों के परिशिष्ठ–1 के अनुसार :<br>प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् नवीन कार्यकारणी का गठन। |
| 11 | क्षेत्र | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | 1. विद्यालय के आस–पास का क्षेत्र प्रदूषण रहित हो।<br>2. 5 कि0मी0 की दूरी मे अन्य सरकारी या गैर सरकारी मावि/उमावि न हो। शहरो के मामले में उन मौहल्लों में अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय न हो। |
| 12 | वेतन भत्ते | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के नियमानुसार वेतन, महगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। |
| 13 | विविध | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | संस्था किन्ही सामप्रदायिक तथा राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग नही लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनैतिक फायदे के लिए नही होनी चाहिए। |
| 14 | निरीक्षण | माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय | संस्था की जॉच/निरीक्षण किसी भी समय शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। संस्था को सभी कार्यालय अभिलेख/विवरण तुरन्त उपलब्ध करवाने होगे। |

# निजी (गैर सरकारी) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों संस्थाओं के लिये

*आवेदन पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची की चैक लिस्ट – B*

संस्था का नाम व पता : ..............................................................................................................

1. कक्षा 08 के क्रमोन्नति आदेश, मान्यता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
2. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम / द्वितीय से प्राप्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक जो भी हों क्रमोन्नति कार्यालय आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न (केवल बोर्ड में आवेदन करने हेतु। है / नहीं
3. पंजियन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
4. प्रबन्ध समिति के सविधान की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
5. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
6. कार्यकारणी सदस्यों की सूची की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
7. भवन नक्शें के ब्ल्यू प्रिन्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से प्रमाणित की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
8. यदि भवन व स्कूल खेल मैदान की भूमि निजी नही है तो किराये नामे की सत्यापित प्रति संलग्न (नोट : स्थाई मान्यता हेतु स्कूल भवन व खेल मैदान की भूमि के निजी मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अथवा 30 वर्षीय किराये नामें की रजिस्टर्ड लींज डीड की सत्यापित प्रति आवश्यक है।) है / नहीं
9. कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप (नॉर्म्स के अनुसार) एवं उपयोग के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
10. स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृर्षि प्रयोजनार्थ / शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम राजस्व अधिकारी / तहसीलदास / एस0डी0एम0 / जिला कलक्टर / राजस्व विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम / विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी जारी रूपान्तरण (Conversion) आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न / यदि भूमि पहले से ही आबादी क्षेत्र में स्थित हो तो स्कूल की भूमि / खेल मैदान की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में परिवर्तन करने के सक्षम अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति है / नहीं
11. विद्यालय में छात्र / छात्राओं के पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था है के संबंध में घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न। है / नहीं
12. आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 22 (2) के अनुसार विद्यालय / संस्था के आसपास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का संस्था के अध्यक्ष के घोषणा की प्रति संलग्न। है / नहीं
13. ग्रामीण क्षेत्र स्कूल / संस्था होने पर स्वच्छ पेयजल व ऐतिहायात के तौर पर अग्निशमन की प्रयाप्त व्यवस्था होने का संस्था प्रधान / सचिव के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न।

   **अथवा**

   (शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल व अग्निशमन उपकरण होने के सम्बन्ध मे सक्षम नगर पालिक / नगर परिषद / नगर निगम विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न यदि किसी स्थानीय नीकाय में अग्निशमन अधिकारी पदस्थापित नही हो तो संस्था सचिव स्वयं का घोषणा पत्र ही मान्य होगा।) है / नहीं
14. आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 23 (1) के अनुसार संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नही लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रमाण की सत्यापित प्रति तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ पत्र संलग्न। है / नहीं
15. भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से प्रमाणित कि सत्यापित प्रति संलग्न। है / नहीं
16. प्रयोगशाला प्रत्येक विषयवार पृथक–पृथक होने की व्यवस्था के प्रमाण की सत्यापित प्रति। है / नहीं
17. कक्षा 1 से 5 अलग भवन / प्रबन्ध के तहत संचालन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
18. कक्षा 6 से 10 माध्यमिक स्तर पर 6 से 12 उच्च माध्यमिक स्तर का कक्षा / सैक्शनवार छात्र संख्या के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं
19. कक्षा 9 से 10 माध्यमिक स्तर व 11 से 12 उमावि स्तर की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है। संबंधित स्थाई स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की सत्यापित प्रति संलग्न है / नहीं

20. छात्र/छात्राओं के लिये स्वास्थ्य प्रशिक्षण की सुविधाये उपलब्ध होने के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
21. बालिका फाउन्डेशन की रशीद की फोटो प्रति राजकीय नियमानुसार जमा है की सत्यापित प्रति संलग्न। है/नहीं
22. शिक्षक पूर्णरूपेण योग्यताधारी रखे जाने के संबंध में घोषणा प्रति की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
23. आवृतक/अनावृतक खर्च का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
24. आरक्षित राशि जमा कराने के साक्ष्य की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
25. संस्था के आय क श्रोत एवं प्राप्त आय का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्नृ है/नहीं
26. लिपिक/परिचारक/प्रयोगशाला सहायक/पुस्ताकालयाध्यक्ष नियमानुसार नियुक्त की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
27. राज्य सरकार बोर्ड को देय शुल्क पैनल्टी आदि बकाया राशि कों राजस्व, भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल करने के लिये चल/अचल सम्पतियों के विवरण पत्र की शाला प्रधान/सचिव के हस्ताक्षरयुक्त घोषणा पत्र की मूल प्रति संलग्न है/नहीं
28. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं ब्रॉड–बैण्ड की सुविधायुक्त होने के संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न है/नहीं
29. शाला भवन खेल मैदान की विडियोंग्राफी की सीडी एवं आवेदन पत्र वांछित शपथ पत्र एवं उक्तानुसार समस्त दस्तावेजों की साफ्ट कॉपी की सीडी (मार्कर पेन से संक्षिप्त विवरण सहित) संलग्न है/नहीं
30. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 एवं इसके संलग्न परिशिष्ठ 2 के साथ बोर्ड मान्यता संबंधि अध्याय 13, 13 ए, 13 बी के 1.9.2011 से प्रभावी विनियमों की पालना में समस्त भोतिक एवं वित्तीय शर्तो की पूर्ती करली गई है। है/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण एवं आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही है और यदि विभाग द्वारा जॉच के दौरान कोई गलत तथ्य पाया जाता है तो मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि को जब्त कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावें।

हस्ताक्षर संस्था सचिव
पूरा नाम ..................................
पूरा पता ..................................
..................................
मोबाईल नम्बर ........................

---

विद्यालय का स्थाई/अस्थाई मान्यता शुल्क रू0 20000/– एवं बकाया .......... माह का विलम्ब शुल्क ............वार्षिक शुल्क ............. कुल राशि ....................बैंक में जमा कराकर डी.डी. प्रस्तुत करें।

चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेजो की सक्षम जॉचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (हस्ताक्षर जॉचकर्ता अधिकारी)
पूरा नाम ..................................................................
पद नाम ..................................................................
मोबाईल नम्बर ...........................................................

जॉच करने के बाद सभी दस्तावेजात एवं सीडी संलग्न पाये गये अतः आवेदन को आवेदन शुल्क /मान्यता शुल्क बैक डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा कराने/की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर जमाकर्ता सक्षम अधिकारी ........................

नोट : घोषण पत्र/शपथ पत्र सभी संबंधित तथ्यों का एक–एक ही प्रस्तुत किया जा सकता है

विशेष नोट : अस्थाई/स्थाई मान्यता की पत्रावली में निर्धारित चैक लिस्ट B के अनुसार बिन्दुवार प्रलेख नम्बर डाल कर समेकित करें तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ती होने के पश्चात् मान्यता हेतु आवेदन करें अन्यथा पत्रावली स्वीकार नही की जावेगी।

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय), .............

(गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति / अतिरिक्त विषय / संकाय की स्वीकृति हेतु अनुमोदन हेतु निदेशालय को दो प्रतियों में भिजवाए जाने वाला सार एवं अनुशंसा प्रारूप जिसे पेनल निरीक्षण दल द्वारा तीन प्रतियों में भर कर जिशिअ को दिया जाएगा)

1. विद्यालय का नाम व पता ..........................................................................................
2. संचालन कर्ता संस्था का नाम व पता ..........................................................................
3. उप्रावि / मावि (1) क्रमोन्नति वर्ष ......................... (2) आदेश क्रमांक .................... ..........
4. संस्था के प्रस्ताव का विवरण (वांछित पर ✓ का निशान लगाएं)
   (अ) उप्रावि से मावि स्तर पर क्रमोन्नति
   (ब) मावि से उमावि स्तर पर क्रमोन्नति
   (स) अतिरिक्त विषय संकाय की स्वीकृति (पूर्ण विवरण दें)
5. माध्यम (Medium) ..........................................................................

| संकाय | विषय |
|---|---|
| | |

| 6. | शुल्क विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मान्यता शुल्क | | | आरक्षित कोष | | |
| राशि | डीडी नम्बर | दिनांक | राशि | डीडी नम्बर | दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित विद्यालय द्वारा क्रमोन्नति / विषय / संकाय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रस्ताव के क्रम में हमने विद्यालय का विस्तृत पेनल निरीक्षण दिनांक ............. को कर लिया है। संस्था ने निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक शिविरा–माध्य / मा / अ–4 / 21310 / 2010–11 दिनांक 11 / 1 / 2012 में वर्णित निर्देशों के अनुसार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के परिशिष्ट 1 में विधिवत आवेदन किया है तथा परिशिष्ट 2 में यथा निर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तो की पूर्ति की जा रही है विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट के अनुसार जॉच कर ली गई है जो सही है। चैक लिस्ट पंजिका में पंजिबन्द कर दिया गया है। जिनका भौतिक सत्यापन हमनें कर लिया है। हमने पेनल निरीक्षण संबंधित निर्देश पत्र दिनांक .............की पूर्णतः पालना की है। संस्था द्वारा विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 03 एवं 12 में वर्णित शपथपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत कर दिए है। अग्निशमन संयत्र लगा है जिसका हमने सत्यापन कर लिया है। संस्था के परिषर में कोई भी मोबाईल टावर नही लगा हुआ है और न ही परिषर के ऊपर से हाईटैन्शन विद्युत लाईन नही गुजर रही है। संस्था द्वारा प्रस्ताव पंजिकाओं में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों का मूल से मिलान कर उनका प्रमाणन (Attestation) पेनल निरीक्षण दल के संयोजक द्वारा हस्ताक्षर मय मुहर कर दिया गया है। हमारी सम्मति में विद्यालय क्रमोंन्नति / अतिरिक्त विषय / संकाय स्वीकृति प्रदान की जानी उचित होगी।

| ( ) | ( ) | ( ) |
|---|---|---|
| ह0 पेनल सदस्य<br>नाम मय पद | ह0 पेनल सदस्य<br>नाम मय पद | ह0 संयोजक मय मोहर<br>नाम मय पद |

जिशिअ की अनुशंसा (क्रमांक ......................................................................... दिनांक.......................................)

पेनल निरीक्षण दल की सम्मति एवं स्वयं की सन्तुष्टि के बाद भाग (अ) में वर्णित विद्यालय की ... ...................... स्तर पर क्रमोन्नति / बिन्दु 4(स) के अनुसार अतिरिक्त विषय / संकाय स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

हस्ताक्षर जिशिअ मय मुहर

**निदेशालय द्वारा अनुमोदन**